Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 52: Payment voucher

A payment voucher referred to in clause (g) of sub-section (3) of section 31 shall contain the following particulars, namely:—

- (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier if registered;
- (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters-hyphen or dash and slash symbolised as "-" and "/"respectively, and any combination thereof, unique for a financial year
- (c) date of its issue;
- (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the recipient;
- (e) description of goods or services;
- (f) amount paid;
- (g) rate of tax (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (h) amount of tax payable in respect of taxable goods or services (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (i) place of supply along with the name of State and its code, in case of a supply in the course of inter-State trade or commerce; and
- (j) signature or digital signature of the supplier or his authorized representative.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 52: संदाय वाउचर

धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (छ) में निर्दिष्ट संदाय वाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :--

- (क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है;
- (ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृखंलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिन्ह हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमशः "—" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा ;
- (ग) जारी करने की तारीख;
- (घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर;
- (ड.) मालों या सेवाओं का विवरण;
- (च) संदत्त रकमः
- (छ) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर);
- (ज) कराधेय मालों या सेवाओं के संबंध में कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर);
- (झ) अंतःराज्य व्यापार या वाणिज्य के प्रक्रम में प्रदाय की दशा में राज्य के नाम के साथ प्रदाय का स्थान और उसका कूट; और
- (স) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर।